

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./14वीं विधानसभा/2018/625-34 दिनांक 4-6-18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़,
झुंजरपुर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, कौटा,
प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
किशनगढ़, जिला चिकित्सालय अलवर, बालोतरा बाडमेर, जिला चिकित्सालय भरतपुर,
जिला चिकित्सालय भीलवाडा, चुरू, सुजानगढ़, दौसा, सागवाडा झुंजरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
जयपुरिया चिकित्सालय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझनु, प्रतापगढ़, ढिंगरीकला, हिण्डोन, रामपुरा,
नागौर,लाडनू, कुचामन, राजसमंद, नाथद्वारा गंगापुर सिटी, अजितगढ़, नीमकाथाना, सलुंबर।

विषय:- विधानसभा प्रश्न सं 704 /कार्मिक विभाग/प्रश्न का प्रति उत्तर बाबत।

संदर्भ:- अनुभाग के पूर्व के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 01.05.2018 एवं 614-23 दिनांक
31.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको पूर्व में दिये गये पत्र के विधानसभा के प्रश्न सं 704/ राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून को सक्षम बनाने की कार्ययोजना के संबंध में जवाब चाहे गये थे, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न का जवाब आज ही अविलम्ब चिकित्सा प्रशासन अनुभाग की ईमेल <addtiha@gmail.com> पर भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि आगे कि कार्यवाही की जा सके। पत्र को प्राथमिकता प्रदान करें, अन्यथा विलंब के लिए होने वाले प्रभाव के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

अतिरिक्त निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./14वीं विधानसभा/ दसवें सत्र/2018/625-34 दिनांक 4-6-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर-राज0।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राज0।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भिजवाकर लेख है कि पत्र को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड एवं मेल करें।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर